अमोल रतन सिंह से पहले, जे.

हरियाणा राज्य सहयोगात्मक आपूर्ति और विपणन संघ सीमा-याचिकाकर्ता

बनाम

मेहताब सिंह और आदि **प्रतिवादी**

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18449 ऑफ 2017

6 अक्टूबर, 2017

हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984-एस. 114 और 115-पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र-किसी भी कार्यवाही के संबंध में सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, यहां तक कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत भी-ऐसे अधिकार और कार्यवाही में कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियमों द्वारा दी गई पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला पंजीयक शामिल होगा-खंड 115 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए सरकार की अधिकार क्षेत्र, एक अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में निरंकुश बनी हुई है-ऐसे सभी मामलों में सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्वतः संज्ञान शक्ति, खंड 114 के तहत उसके लिए कोई अपील नहीं थी।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि मूल अधिनियम की खंड 115 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका (वह अधिनियम जिसकी खंड 37 के तहत 1988 के नियम बनाए गए हैं), सरकार को किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग करने और जांच करने में सक्षम बनाती है जिसमें सरकार के पास कोई अपील नहीं होती है, ताकि वह अधिनियम के तहत किसी प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में खुद को संतुष्ट कर सके। इसके अलावा, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत भी किसी भी कार्यवाही के संबंध में सरकार द्वारा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, मेरी राय में, इस तरह के प्राधिकरण और ऐसी कार्यवाहियों में कुलसचिव भी शामिल होगा जो कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियमों द्वारा उसे दी गई पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे नियम मूल अधिनियम की खंड 37 के तहत बनाए गए हैं जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।

(पैरा 27)

ने आगे कहा कि 1984 के अधिनियम की खंड 114 के अवलोकन से पता चलता है कि 1988 के नियमों के नियम 21 के तहत पारित पंजीयक के आदेश के खिलाफ सरकार के पास कोई अपील नहीं है और इसलिए, इस न्यायालय की राय में, मूल 106 की खंड 115 द्वारा प्रदत्त अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए सरकार की अधिकार क्षेत्र के संबंध में।

अधिनियम, यह एक अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में निरंकुश रहता है।

(पैरा 30)

हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984-एस. 102, 114 और 115-संशोधन-स्वतः संज्ञान या किसी संदर्भ के लिए किसी पक्ष के आवेदन पर-संशोधन अधिकार क्षेत्र को केवल खंड 102" के तहत एक संदर्भ के लिए एक पक्ष द्वारा लागू किया जा सकता है-हालाँकि, सरकार स्वयं अन्य मामलों पर अपने संशोधन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है-एक पक्ष द्वारा याचिका जो बनाए रखने योग्य नहीं थी, सरकार द्वारा विचार किए जाने के बाद इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है-एक बार जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो कहा जा सकता है कि सरकार ने इसे स्वीकार करने के लिए अपनी "स्वतः संज्ञान शक्ति" का प्रयोग किया है-विवादित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं।

अभिनिर्धारित किया गया कि मामला अलग हो सकता है यदि खंड 115 में "स्वतः संज्ञान" वाक्यांश के बाद, वाक्यांश से पहले या खंड 102 के तहत किसी संदर्भ के लिए किसी पक्ष के आवेदन स्वप्रेरणा अल्पविराम होता।हालाँकि, चूंकि ऐसा नहीं है, हालाँकि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र को केवल एक पक्ष द्वारा अधिनियम की खंड 102 (मध्यस्थता के लिए विवादों से संबंधित) के तहत एक संदर्भ के लिए लागू किया जा सकता है, हालाँकि, सरकार स्वयं अन्य मामलों पर भी स्वप्रेरणा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है।इस प्रकार, सरकार द्वारा ऐसे सभी मामलों में स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अधिनियम स्वप्रेरणा 114 के तहत कोई अपील नहीं की जाती है। निस्संदेह, प्रतिवादी सं. के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका।2 उक्त प्राधिकारी स्वप्रेरणा संज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन प्रतिवादी पर नहीं।1 उक्त याचिका दायर की।उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि याचिका स्वयं विचारणीय नहीं थी।हालाँकि, प्रतिवादी नं द्वारा इसका मनोरंजन किया गया है।2, मेरी

राय में इसे वर्जित नहीं माना जा सकता क्योंकि एक बार इस पर विचार किए जाने के बाद, सरकार (प्रतिवादी संख्या 2) ने भी इसे स्वीकार करने के लिए स्वप्रेरणा "स्वतः संज्ञान शक्ति" का प्रयोग किया था।

(पैरा 31)

हरियाणा राज्य आपूर्ति और विपणन सहकारी सेवा (सामान्य संवर्ग नियम), 1988-आर. एल. 21-पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र-सामान्य संवर्ग के कर्मचारियों के मामले में पंजीयक द्वारा प्रयोग किया जाना, जिसके लिए नियम लागू होते हैं, नियम 20 के तहत अपील पर बोर्ड के निर्णय के खिलाफ-प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, सामान्य संवर्ग नियमों के दायरे में आने वाले मामलों तक सीमित है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार 1988 के नियमों के नियम 21 के तहत प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षणात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हरियाणा राज्य सहकारी संघ के खिलाफ सामान्य संवर्ग के कर्मचारियों के मामले में पंजीयक द्वारा किया जाना है, जिन पर नियम लागू होते हैं। आपूर्ति और विपणन फेड। सीमित

बनाम महताब सिंह और अन्य (अमोल रतन सिंह, जे.)

नियम 20 के तहत दायर अपील पर बोर्ड का निर्णय।इसलिए प्रदत्त अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से उपरोक्त सामान्य संवर्ग नियमों के दायरे में आने वाले मामलों तक सीमित है।

(पैरा 26)

हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984-एस. 114 और 115-हरियाणा राज्य आपूर्ति और विपणन सहकारी सेवा (सामान्य संवर्ग नियम), 1988-आर. एल. 21-वसूली अधिरोपित-संशोधन-जिला प्रबंधक द्वारा पूछताछ-क्या नमी निर्धारित सीमा से अधिक है या नहीं और कम लाभ का लाभ दिया जाना चाहिए, इस पर पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था, जिसे उसने नहीं किया है-विवादित आदेश रद्द कर दिया गया-सरकार को प्रेषित किया गया मामला, इस सवाल पर जाने के लिए कि क्या नीचे दिए गए अधिकारियों ने भंडारण लाभ के प्रश्न को मानदंडों के अनुसार सही तरीके से फैक्टर किया गया है या नहीं।

माना जाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्टॉक का वजन भी मूल रूप से यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक होगा कि क्या गोदाम में स्टॉक रखे जाने के समय से, नमी की मात्रा सहित किसी भी कारण से, शुद्ध वजन के संबंध में कोई लाभ या हानि हुई है या नहीं।फिर भी, यह मानदंडों के अनुसार, नमी के कारण भंडारण लाभ के पहलू में जाने के

लिए पुनरीक्षण प्राधिकरण की आवश्यकता को दूर नहीं करेगा, क्योंकि यही प्रतिवादी नहीं है।1 सबसे पहले उन पर आरोप लगाया गया।इसलिए, क्या पुनरीक्षण प्राधिकरण के तहत अधिकारियों ने प्रतिवादी नं.1, यह कुछ ऐसा है जिसमें पुनरीक्षण प्राधिकरण को जाने की आवश्यकता थी, जो उसने नहीं किया है।(पैरा 41) आगू अभिनिर्धारित कयल गेल जे फलस्वरूप एहि याचिकाक अनुमति देल गेल अछि आ आक्षेपित आदेश, संलग्नक पी-6 कें एतद्द्वारा निरस्त कs देल गेल अछि।मामला प्रतिवादी नं.2 इस प्रश्न में जाने के लिए कि क्या नीचे दिए गए अधिकारियों ने भंडारण लाभ के प्रश्न को मानदंडों के अनुसार सही तरीके से फैक्टर किया गया है या नहीं, जबकि प्रतिवादी संख्या पर उपरोक्त वसूली लागू की गई है।1.पुनरीक्षण प्राधिकरण उस पहलू में जाएगा, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/अधिकारियों को सौंपा गया कर्तव्य शामिल है, ताकि नमी की मात्रा और उसके परिणामस्वरूप भंडारण लाभ/हानि का निर्धारण किया जा सके और विसंगति के मामले में जिम्मेदारी तय की जा सके।यह आकलन करने के बाद कि क्या प्रतिवादी नहीं। 1 और अन्य (जो मानदंडों को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे), अपना कर्तव्य निभाया या नहीं, पुनरीक्षण 108 द्वारा एक बोलने का आदेश पारित किया जाएगा।

प्राधिकारी, अंततः एक निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि क्या प्रतिवादी नहीं।1 निर्धारित मानदंडों के अनुसार कम भंडारण लाभ देने में दोषी था।(पैरा 43)

पद्मकांत द्विवेदी, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

रमन बी. गर्ग, प्रतिवादी नं.1.

आर. के. दून, ए. ए. जी, हरियाणा।

अमोल रतन सिंह, जे। (मौखिक **)**

(1) हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (जिसे इसके बाद हैफेड या कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है) याचिकाकर्ता है, जिसमें दूसरे प्रतिवादी, यानी हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा पारित दिनांकित 12.07.2016, संलग्नक पी-6, को रद्द आदेशते सरशियोरेराई सं.1 इसमें हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की खंड 115 के तहत पूर्व फील्ड इंस्पेक्टर (स्टोर) मेहताब सिंह शामिल हैं।

(2) प्रतिवादी सं. द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका।1 उन्होंने एक पुनरीक्षण याचिका (लेकिन हरियाणा राज्य आपूर्ति और विपणन सहकारी सेवा (सामान्य संवर्ग नियम), 1988 के नियम 21 के तहत दायर) पर भी इसमें तीसरे प्रतिवादी यानी सहकारी समितियों के पंजीयक, हरियाणा द्वारा पारित आदेश संलग्नक पी-5 को रद्द करने की मांग की थी।3 कंपनी के प्रशासक मंडल की ओर से उप महाप्रबंधक (प्रशासन), हैफेड, पंचकुला द्वारा प्रथम प्रतिवादी के खिलाफ पारित आदेश को बरकरार रखा था।उक्त आदेश दिनांकित 20.04.2011 है, जिसकी एक प्रति याचिका के साथ संलग्नक पी-4 के रूप में संलग्न की गई है।उक्त आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिवादी नं.1, पर लगाई गई 226545.05 पैसे की वसूली को बरकरार रखा गया था। ऐसा वसूली आदेश दिनांक 28.01.2005 के तहत प्रतिवादी नम्बर 01 से करने का आदेश दिया गया था। अनुलगन्क–P-3

(3) मुकदमे की पृष्ठभूमि यह है कि प्रतिवादी नं।1 उन्हें 06.11.2000 (अनुलग्नक पी-1) पर एक आरोप पत्र के साथ पेश किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जुलाई 1994 के महीनों में और जनवरी हरियाणा राज्य सीओओपी से भारतीय खाद्य निगम को रबी-994-95” के 118344 बोरे गेहूं के प्रेषण में 863.03 कुंतल गेहूं का "कम लाभ दिया"। आपूर्ति और विपणन फेड। सीमित

1995 मार्च 1995 तक, जिससे याचिकाकर्ता, हैफेड को '405274.30 पैसे का नुकसान हुआ।

(4) प्रथम प्रत्यर्थी ने 20/04/2001 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, यह संतोषजनक नहीं पाया गया, लगाए गए आरोपों की विभागीय जांच का आदेश दिया गया, और जांच /अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27/07/2003 (अनुलग्नक पी-2) के माध्यम से माना कि प्रतिवादी नं.1. के खिलाफ आरोप साबित हुए।

(5) सक्षम प्राधिकारी, अर्थात प्रबंध निदेशक (वर्तमान याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं) ने जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होकर प्रतिवादी नं.1 303955.07 पैसे की वसूली के लिए, यानी 405274.30 पैसे के कुल नुकसान का 75 प्रतिशत।

(6) दिनांकित 16.12.2003 के उपरोक्त कारण बताएँ नोटिस के जवाब में, प्रतिवादी नं.1 अपना दिनांकित 17.05.2004, का जवाब प्रस्तुत किया, जिसके बाद उन्हें दंडित करने वाले प्राधिकारी (प्रबंध निदेशक) द्वारा 18.10.2004 पर व्यक्तिगत रूप से सुना गया, जिसमें उक्त प्राधिकारी ने अंततः 226545.50 पैसे की वसूली का दंड लगाया, जिसे प्रतिवादी

संख्या 1 पर गिरने वाले हिस्से का 75 प्रतिशत माना गया।1, कुल नुकसान का, उपरोक्त आदेश, संलग्नक पी-3 के अनुसार।

(7) उस आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी नं।1 1988 के उपरोक्त नियमों के नियम 20 के तहत प्रशासक मंडल को एक अपील दायर की गई, जिसने अपील पर विचार करने और प्रथम प्रतिवादी को व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद, आदेश संलग्नक पी-4, दिनांक 20.04.2011 के माध्यम से उसे खारिज कर दिया, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।

(8) पुनरीक्षण प्राधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, संलग्नक पी-6, दूसरे प्रतिवादी के समक्ष याचिकाकर्ता (एच. ए. एफ. ई. डी.) की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के साथ पारित किया गया प्रतीत होता है।याचिका में इस तरह की गैर-उपस्थिति का कारण यह बताया गया है कि कंपनी के वकील एक अन्य मामले में व्यस्त थे, जिसमें स्थगन के अनुरोध को उक्त पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

(9) इसके बाद विवादित आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन को भी प्रतिवादी नं.2, एक आदेश दिनांक 26.07.2016 (अनुलग्नक पी-7) के माध्यम से।उस आदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, कानपुर क्षेत्र बनाम बाबू सिंह और अन्य में एक फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में में, एक समीक्षा आवेदन की अनुमति नहीं है, भले ही वह किसी आदेश के संशोधन की आड़ में हो।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

(10) नतीजतन, वर्तमान याचिका हैफेड द्वारा दायर की गई है।

(11) इस न्यायालय द्वारा 21.08.2017 पर नोटिस जारी किए जाने पर, पुनः नोटिस के साथःस्टे भी उस तारीख को जारी किया गया था, सीएम नं।13102- इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा 2017 का सी. डब्ल्यू. पी. दायर किया गया, जो कि विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाला एक आवेदन है, इस आधार पर कि प्रथम प्रतिवादी ने हरियाणा मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की है, जिसमें उक्त आयोग द्वारा याचिकाकर्ता कंपनी को 18/08/2007 पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है, और इसके बाद मामला केवल इसलिए स्थगित कर दिया गया ताकि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका के माध्यम से यहां दिए गए आदेश को चुनौती दे सके, विद्वान आयोग ने 22/08/2017 पर आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रथम प्रतिवादी से वसूल की जाने वाली आधी राशि जारी कर दे।

(12) इस प्रकार, इस डर से कि उक्त राशि को प्रतिवादी नं.1, उक्त आवेदन दायर किया गया था, जिसमें विवादित आदेश पर ही रोक लगाने की मांग की गई थी, ताकि विद्वान आयोग प्रतिवादी नं.1 विवादित आदेश, संलग्नक पी-6 के आधार पर राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(13) 14.09.2017 को पर उक्त आवेदन में इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद, विवादित आदेश के संचालन पर सुनवाई की तारीख तक रोक लगा दी गई थी, याचिकाकर्ता कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया था कि विवादित आदेश आरम्भतः ही अमान्य है, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग पंजीयक (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा अपने आदेश अनुबंध पी-5 के माध्यम से पहले ही किया जा चुका है और इसलिए, कोई दूसरी पुनरीक्षण संलग्नक बनाए रखने योग्य नहीं है।

(14) प्रतिवादी नं.1 श्री रमन बी. गर्ग, अधिवक्ता द्वारा स्वप्रेरणा उपस्थिति दर्ज कराने के बाद, इस न्यायालय द्वारा 1984 के अधिनियम की खंड 115 के तहत याचिका की स्थिरता के मुद्दे पर पहली बार एक आदेश 29/09/2017 को पारित किया गया था कि उस अधिनियम की खंड 115 के तहत दायर एक पुनरीक्षण याचिका ने सरकार को या तो स्वतः संज्ञान या किसी पीड़ित पक्ष के आवेदन के तहत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाया और इसलिए, भले ही पंजीयक (प्रतिवादी संख्या 3) ने 1988 में उपरोक्त नियमों के नियम 21 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का पहले ही प्रयोग कर लिया हो, मूल अधिनियम (हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984) की खंड 115 के तहत प्रयोग की गई शक्ति एक स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र थी, जो उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी निचले प्राधिकारी को दी गई किसी भी पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के ऊपर और ऊपर थी।

(15) नतीजतन, इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया था ताकि पार्टियों के वकील विवादित आदेश में निहित गुण-दोष पर बहस कर सकें।

(16) आज, जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो मुख्य मामले को ही पक्षों की सहमति से बोर्ड पर लिया गया था, हालांकि पहले यह केवल स्थगन आवेदन था (सीएम नं.13102-2017 का सी. डब्ल्यू. पी.) जिसका तर्क दिया जा रहा था।

(17) Mr.Dwivedi, याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि, वास्तव में, विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकरण (प्रतिवादी संख्या 1) ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि कम वजन के कारण गेहूं के भंडार में नुकसान करने के मानदंड गोदाम में संग्रहीत गेहूं में नमी की मात्रा के कारण भंडारण लाभ में फैक्टरिंग नहीं होने के कारण होने वाले नुकसान से पूरी तरह से अलग हैं, दिनांकित 9.06.1992 के निर्देशों के अनुसार, जिसकी एक प्रति विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में पेश की गई थी।

(18) उन्होंने प्रस्तुत किया कि जबकि भंडारण अवधि के दौरान गेहूं के भंडार में प्रवेश करने वाली नमी के कारण भंडारण लाभ, निर्देशों के पहले भाग में निपटाया जाता है, जबकि चोरी के कारण होने वाले नुकसान को निर्देशों के अंतिम भाग में निहित किया जाता है।

(19) इसके बाद उन्होंने विवादित आदेश के अंतिम भाग की ओर इशारा किया, जो इस प्रकार हैः-

"याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदन को सुनने और मामले की फाइल की जांच करने के बाद, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का अनुरोध डी. एम. हैफेड फरीदाबाद के कार्यालय में विधिवत प्राप्त किया गया था।दिनांक 10.06.1992 के निर्देशों के अनुसार, डीएम अत्यधिक सतर्कता बनाए रखने और भौतिक जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि खरीद के समय, स्टॉक का आवश्यक परीक्षण वजन अपने स्तर पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टॉक की चोरी न हो, लेकिन प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।इसलिए याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।"

(20) श्री द्विवेदी ने कहा कि पुनरीक्षण प्राधिकरण इस तथ्य को पूरी तरह से भूल गया है कि स्टॉक का परीक्षण वजन चोरी के संदर्भ में अधिक है, जबकि मानदंडों के अनुसार पर्याप्त भंडारण लाभ को कारक बनाया गया है या नहीं, इस पर उपरोक्त निर्देशों और ऐसे अन्य निर्देशों के संदर्भ में गौर किया जाना चाहिए था, जिन मुद्दों को विवादित आदेश 12.07.2016 में बिल्कुल भी नहीं निपटाया गया है।

संभवतः इस कारण से कि जब 12.07.2016 पर विवादित आदेश पारित किया गया था, तब याचिकाकर्ता (हैफेड) के वकील मौजूद नहीं थे।

(21) इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश को केवल उसी आधार पर अलग रखा जाना चाहिए, इस मुद्दे पर विस्तार से विचार नहीं किया गया है, जैसा कि पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए था।

(22) दूसरी ओर, श्री रमन विद्वान अधिवक्ता नं.1, प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने जिला प्रबंधक के कर्तव्य को आवश्यक स्टॉक वजन करने के लिए संदर्भित किया, जिसमें प्रतिवादी नं।1 इस तरह के परीक्षण भार में शामिल नहीं, इसका मतलब यह नहीं था कि प्रतिवादी नहीं।2 विवाद की सराहना नहीं की थी।उन्होंने प्रस्तुत किया कि मामले का पूरा इतिहास विवादित आदेश में दिया गया है, बहुत स्पष्ट रूप से पुनरीक्षण प्राधिकरण को उस आदेश के बारे में पता था जो वह पारित कर रहा था, यह अभिनिर्धारित किया जा रहा था कि यह वास्तव में जिला प्रबंधक की जिम्मेदारी थी कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्टॉक ठीक से तौला गया था और इस तरह, प्रतिवादी नं।1 भंडारण के दौरान उसमें नमी की मात्रा की किसी भी चोरी या यहां तक कि गैर-कारक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(23) विद्वान वकील ने स्वाभाविक रूप से रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।

(24) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, विवादित आदेश के गुण-दोष पर दोनों विद्वान अधिवक्ताोें की दलीलों में जाने से पहले, हरियाणा राज्य आपूर्ति और विपणन सहकारी सेवा (सामान्य संखंड नियम) 1988 के नियम 21 के तहत पंजीयक (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किए जाने के बाद, 1984 के अधिनियम की धारा 115 के तहत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका (प्रतिवादी संख्या 1) की गैर-प्राप्ति पर श्री द्विवेदी द्वारा उठाए गए प्रारंभिक मुद्दे पर जाना आवश्यक है।

(25) दोनों प्रावधानों को यहाँ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की खंड 115।

“115. संशोधन-सरकार स्वतः या [एक पीड़ित पक्ष] के आवेदन पर [इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत] किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकती है जिसमें पारित किसी भी निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से खंड 114 के तहत सरकार को कोई अपील नहीं की जाती है और यदि किसी भी मामले में वह हरियाणा राज्य सहकारी समिति के खिलाफ अपील करेगी। आपूर्ति और विपणन फेड। सीमित

सरकार को कि ऐसे किसी निर्णय या आदेश को संशोधित, निरस्त या संशोधित किया जाना चाहिए, सरकार, प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकती है जो वह उचित समझे।"

हरियाणा राज्य आपूर्ति और विपणन सहकारी सेवा (सामान्य संवर्ग) नियम, 1988 का नियम 21

"21. पुनरीक्षण।- सामान्य संवर्ग के कर्मचारियों के मामले में बोर्ड के निर्णय के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका ऐसे निर्णय के 60 दिनों के भीतर पंजीयक के पास होगी।"

(26) इस प्रकार 1988 के नियमों के नियम 21 के तहत प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षणात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सामान्य संवर्ग के कर्मचारियों के मामले में पंजीयक द्वारा किया जाना है, जिन पर नियम लागू होते हैं, नियम 20 के तहत दायर अपील पर बोर्ड के फैसले के खिलाफ।इसलिए प्रदत्त अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से उपरोक्त सामान्य संवर्ग नियमों के दायरे में आने वाले मामलों तक सीमित है।

(27) दूसरी ओर, मूल अधिनियम की खंड 115 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका (वह अधिनियम जिसकी खंड 37 के तहत 1988 के नियम बनाए गए हैं), सरकार को किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग करने और जांच करने में सक्षम बनाती है जिसमें सरकार के पास कोई अपील नहीं होती है, ताकि वह अधिनियम के तहत किसी प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में खुद को संतुष्ट कर सके।

(28) इसके अलावा, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत भी किसी भी कार्यवाही के संबंध में सरकार द्वारा पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

(29) इस प्रकार, मेरी राय में, इस तरह के प्राधिकरण और ऐसी कार्यवाहियों में कुलसचिव भी शामिल होगा जो कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियमों द्वारा उसे दी गई पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे नियम मूल अधिनियम की खंड 37 के तहत बनाए गए हैं जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।

(30) 1984 के अधिनियम की खंड 114 के अवलोकन से पता चलता है कि 1988 के नियमों के नियम 21 के तहत पारित पंजीयक के आदेश के खिलाफ सरकार के पास कोई अपील नहीं है और इसलिए, इस न्यायालय की राय में, मूल अधिनियम की खंड 115 द्वारा प्रदत्त

अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए सरकार की अधिकार क्षेत्र के संबंध में, यह एक अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में निरंकुश रहता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

(31) मामला अलग हो सकता था अगर खंड 115 में "सुओ मोटो" वाक्यांश के बाद, वाक्यांश से पहले या खंड 102 के तहत किसी संदर्भ के लिए किसी पक्ष के आवेदन पर अल्पविराम होता।हालाँकि, चूंकि ऐसा नहीं है, हालाँकि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र को केवल एक पक्ष द्वारा अधिनियम की खंड 102 (मध्यस्थता के लिए विवादों से संबंधित) के तहत एक संदर्भ के लिए लागू किया जा सकता है, हालाँकि, सरकार स्वयं अन्य मामलों पर भी स्वप्रेरणा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है।(32) इस प्रकार, सरकार द्वारा ऐसे सभी मामलों में स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अधिनियम स्वप्रेरणा 114 के तहत कोई अपील नहीं की जाती है। (33) निस्संदेह, प्रतिवादी सं. के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका।2 उक्त प्राधिकारी स्वप्रेरणा संज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन प्रतिवादी पर नहीं।1 उक्त याचिका दायर की।उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि याचिका स्वयं विचारणीय नहीं थी।हालाँकि, प्रतिवादी नं द्वारा इसका मनोरंजन किया गया है।2, मेरी राय में इसे वर्जित नहीं माना जा सकता क्योंकि एक बार इस पर विचार किए जाने के बाद, सरकार (प्रतिवादी संख्या 2) ने भी इसे स्वीकार करने के लिए स्वप्रेरणा "स्वतः संज्ञान शक्ति" का प्रयोग किया था।

(34) अतः इस न्यायालय की राय में, आक्षेपित आदेश, संलग्नक पी-6, कम से कम अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं है।

(35) फिर इस मुद्दे पर आते हैं कि क्या याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री द्विवेदी द्वारा बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि क्या विवादित आदेश मामले के गुण-दोष पर विवेक की कमी से ग्रस्त है, इस प्रभाव के लिए कि नमी की मात्रा को सही तरीके से शामिल किया गया था या नहीं, प्रतिवादी सं।1, गेहूँ की कमी की गणना करने के लिए।

(36) मेरी राय में यह तर्क सही है।

(37) पुनरीक्षण प्राधिकरण ने विवादित आदेश के अंतिम पैराग्राफ में दिनांकित 10.06.1992 निर्देशों का उल्लेख किया है, जो उस आदेश का एकमात्र हिस्सा है जिसमें प्राधिकरण ने वास्तव में विवाद से निपटा है, जिसकी पृष्ठभूमि आदेश के पिछले पैराग्राफ में दी गई है।

(38) उक्त निर्देशों को नीचे कुल मिलाकर पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

“ हरियाणा राज्य सहयोगात्मक आपूर्ति और विपणन संघ की सीमाःचंडीगढ़

--- No.Hafed/Proc/PA-II/1550 दिनांकः

10.06.1992 हरियाणा राज्य सीओओपी। आपूर्ति और विपणन फेड। सीमित

सभी डीएमएस, राज्य में हड़प लिया।

विषयःव्हीट स्टॉक्स में भंडारण लाभ के लिए नियम।

भंडारण लाभ के लिए मानदंडों के निर्धारण का मामला काफी लंबे समय से प्रबंधन के विचाराधीन है।कैथल में आई. डी. 2 और एच. ओ. में आई. डी. 1 पर हुई डी. एम. की बैठक और आई. डी. 3 पर हुई व्यापार संवर्धन समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई।चर्चा के बाद, भंडारण लाभ के लिए निम्नलिखित मानदंड तय किए जाते हैंः- अप्रैल-जून के महीनों में भंडारण लाभ गेहूं में कोई नुकसान नहीं जुलाई 800 जीएमएस।प्रति क्यू. टी. एल. अगस्त 900 जीएमएस।प्रति क्यू. टी. एल. सितंबर 1000 जीएमएस।प्रति क्यू. टी. एल.अक्टूबर से दिसंबर 1200 ग्राम।प्रति क्यू. टी. एल.जनवरी से मार्च 1400 ग्राम।प्रति क्यू. टी. एल.अप्रैल से 1200 ग्राम।प्रति क्यू. टी. एल. कुछ फील्ड अधिकारियों ने बताया कि मौसम की शुरुआत में मंडियों में उच्च नमी का भंडार आता है, जिनमें से कुछ खरीद एजेंसियों द्वारा भी खरीदे जाते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे अधिकांश स्टॉक संयोजन द्वारा काटे जाते हैं।विस्तृत चर्चा के बाद यह महसूस किया गया कि इस तरह के स्टॉक शुरुआत में केवल कुछ दिनों के लिए आते हैं और इस तरह के स्टॉक की खरीद खरीद को बढ़ाने के लिए की जाती है।यह महसूस किया गया कि इस तरह के स्टॉक आवश्यक लाभ नहीं दे सकते हैं।

ऐसे भंडारों में जहां नमी निर्धारित सीमा से अधिक है, कम लाभ का लाभ संबंधित वित्तीय संस्थान को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा करते समय संबंधित डी. एम. द्वारा कोई भी जांच की जानी चाहिए, ताकि किसी को भी कोई अनुचित लाभ न मिले।

इसके अलावा, एच. ओ. से प्रतिनियुक्त संबंधित डी. एम. और समन्वय अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वे ऐसे स्टॉक की खरीद के बारे में एक ध्यान दें दर्ज करें।

जहां भी भंडारण लाभ निर्धारित सीमा से कम है, डीएम को 24 घंटे के भीतर प्रबंधक (प्रो. सी.), मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी और प्रबंधक (डब्ल्यू. एच.) को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए।इसके अलावा, डी. एम. को 116 को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक जांच करनी चाहिए।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

एक ही केंद्र में अन्य ढेरों का भंडारण लाभ और अन्य पर दर्ज किया जा रहा भंडारण लाभ, जिम्मेदारी तय करने वाले केंद्र हैं।उसे 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट बिना किसी असफलता के भेजनी चाहिए।

डी. एम. को अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए और अपने स्तर पर भौतिक जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टॉक की चोरी न हो।उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीद के समय स्टॉक का आवश्यक परीक्षण तौल किया जाए ताकि खरीद प्रक्रिया के अनुसार भंडारण केंद्र में स्टॉक के आने से पहले चोरी न हो, यह स्पष्ट किया गया कि भार को सत्यापित करना स्टॉक प्राप्त करने वाले एफ. आई./एस. के. का कर्तव्य होगा और वह किसी भी कमी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और बिना किसी जांच के जिम्मेदार होगा।

मानक से अधिक लाभ दर्ज करने वाले डी. एम./एफ. आई./एस. के. को मात्रा के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही निर्देशों का पालन किया जाएगा।

एस. डी./- प्रबंध निदेशक, हाफेड के लिए "(39) इस प्रकार, भंडारण की अवधि के दौरान नमी के कारण गेहूं के भंडार में वजन में वृद्धि के लिए मानदंड उपरोक्त निर्देशों के पहले भाग में अलग-अलग महीनों के लिए दिए गए हैं, जिसके बाद यह कहा गया है कि कंबाइन हार्वेस्टरों द्वारा काटे गए स्टॉक में भी, नमी निर्धारित सीमा से अधिक है या नहीं और कम लाभ का लाभ दिया जाना चाहिए, संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा की जाने वाली जांच पर निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि किसी को भी अनुचित लाभ न दिया जाए।

(40) उस पहलू को विवादित क्रम में भी संदर्भित नहीं किया गया है, जबकि "स्टॉक का आवश्यक परीक्षण वजन" वह है जिसे संदर्भित किया जाता है, जिसे वास्तव में यह सुनिश्चित आदेश की कोशिश के संदर्भ में देखा जाता है कि कोई चोरी नहीं हुई है।

(41) इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्टॉक का वजन भी मूल रूप से यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक होगा कि जब से गोदाम में स्टॉक रखा गया था, तब से नमी की मात्रा सहित किसी भी कारण से शुद्ध वजन के संबंध में कोई लाभ या हानि हुई है या नहीं।फिर भी, यह

मानदंडों के अनुसार, नमी के कारण भंडारण लाभ के पहलू में जाने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकरण की आवश्यकता को दूर नहीं करेगा, क्योंकि यही प्रतिवादी नहीं है।1 सबसे पहले उन पर आरोप लगाया गया।

हरियाणा राज्य सीओओपी। आपूर्ति और विपणन फेड। सीमित

बनाम महताब सिंह और अन्य (अमोल रतन सिंह, जे.)

(42) इसलिए, क्या पुनरीक्षण प्राधिकरण के तहत अधिकारियों ने प्रतिवादी नं.1, यह कुछ ऐसा है जिसमें पुनरीक्षण प्राधिकरण को जाने की आवश्यकता थी, जो उसने नहीं किया है।

(43) नतीजतन, इस याचिका की अनुमति दी जाती है और आक्षेपित आदेश, संलग्नक पी-6, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।मामला प्रतिवादी नं.2 इस प्रश्न में जाने के लिए कि क्या नीचे दिए गए अधिकारियों ने भंडारण लाभ के प्रश्न को मानदंडों के अनुसार सही तरीके से फैक्टर किया गया है या नहीं, जबकि प्रतिवादी संख्या पर उपरोक्त वसूली लागू की गई है।1.

(44) पुनरीक्षण प्राधिकरण उस पहलू में जाएगा, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/अधिकारियों को सौंपा गया कर्तव्य शामिल है, ताकि नमी की मात्रा और उसके परिणामस्वरूप भंडारण लाभ/हानि का निर्धारण किया जा सके और विसंगति के मामले में जिम्मेदारी तय की जा सके।

(45) यह आकलन करने के बाद कि क्या प्रत्यर्थी नहीं। 1 और अन्य (जो मानदंडों को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे), ने अपना कर्तव्य निभाया या नहीं, पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा एक बोलने का आदेश पारित किया जाएगा, जो अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि क्या प्रतिवादी नं। 1 निर्धारित मानदंडों के अनुसार कम भंडारण लाभ देने में दोषी था।

(46) भंडारण लाभ की गणना कब की जानी है या इसकी गणना बिल्कुल नहीं की जानी है, इस मुद्दे पर निर्णयों पर भी पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा, जैसा कि उसके सामने उद्धृत किया गया है।

वी. सूरी

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयों का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निस्पादन और उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सुभाष चन्द्र